

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

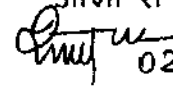
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश. / 1323 /2020

दिनांक 03.07.2020

श्रीमती कविता कच्छवाहा (RJ1037), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-04, अजमेर को दिनांक 13.07.2020 से 08.01.2021 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 11.07.2020 से 12.07.2020 एवं 09.01.2021 से 10.01.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

सुश्री सलोनी माथुर (RJ1148), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, अजमेर को श्रीमती कविता कच्छवाहा के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-04, अजमेर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे
- (2) सुश्री सलोनी माथुर(RJ1148), जिनको अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-04, अजमेर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से
 02/7/2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/25/2016/ 2456

दिनांक : 03.07.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर को उनके पत्रांक 13612 दिनांक 18.06.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती कविता कच्छवाहा (RJ1037), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-04, अजमेर ।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-04, अजमेर।
5. सुश्री सलोनी माथुर (RJ1148), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, अजमेर।
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, अजमेर।
8. संबंधित कोषालय ।
9. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार